

आवंटित/नियमन करने का निर्णय पारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 188 दिनांक 01.10.2020 को जारी किया है एवं खसरा संख्या 78 की रकबा 20 बीघा भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित/नियमन करने हेतु जिला कलक्टर महोदय, सिरोंही को पत्र दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया है। जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोंही के पत्र क्रमांक:पं.12(3)राज/2020/3340-41 दिनांक 14.10.2020 के द्वारा खसरा संख्या 78 की भूमि ग्राम पंचायत, माकरोडा का आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरोंही को पत्र जारी किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अर्न्तगत भी ऐसे लोग/परिवार जिनके आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है को आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी निर्णय दिनांक 05.10.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 78 रकबा 0.0480 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर कब्जा व बाड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में अपीलार्थी ने पूर्व में विवादित भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था, का उल्लेख नहीं किया है, जबकि विधि अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण के नोटिस में पूर्व में कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 में भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व में कौनसे वर्ष अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 78 किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथायत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोंही द्वारा प्रकरण संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथायत बहाल रखते हुए एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(गिंतेश श्री मालदीया)
23/12/20
* अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोंही